राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बाबूलाल बनाम सम्पत्ति देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/06/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवाई गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | तत्पश्चात अधिवक्ता अपीलार्थी संख्या 1 लगा. 5 ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 03/06/2026 को पेश हो |	
03/06/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/10/2024 पारित करते हुये तहसीलदार कोटखावदा को विवादित आराजीयात खाता संख्या 141 में खसरा नम्बर 300, 301, 622, 623, 624, 6299/1000, 630 लगायत 632, 634 लगायत 637, 639 लगायत 648, 650 लगायत 661, 663, 664, 827/1008 कुल किता 38 कुल रकबा 11.27 हैक्टेयर वाके ग्राम महेशपुरा पटवार हल्का राडोली, तहसील कोटखावदा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वादी के डाक खर्चे पर प्रतिवादीगणों को लिखित सूचना देते हुये उपयुक्त विवादित आराजीयात का मौका निरिक्षण कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/10/2024 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. के अनुपस्थित रहे एवं अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अधिवक्ता अपीलार्थी की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के अनुरूप ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपील के माध्यम से उठाई गयी तकनीकी आपत्ति के आधार पर अनावश्यक लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त नही समझा जाता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है |	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बाबूलाल बनाम सम्पत्ति देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1265/2024	

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/10/2024 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।